बिहार सरकार
वित्त विभाग

-:: **निविदा सूचना** ::-

वित्त विभाग के अधीन विभिन्न कार्यालय एवं परिसरों के साफ-सफाई का कार्य कराये जाने हेतु संविदा के आधार पर श्रमिक उपलब्ध कराने के निमित्त मुहरबंद निविदा आमंत्रित किया जाता है । मुहरबंद निविदा **प्रकाशन की तिथि से दिनांक-06.07.2026 के अपराह्न 5:00 बजे तक** निबंधित/स्पीड पोस्ट या हाथों हाथ वित्त विभाग के डाक प्राप्ति शाखा में किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त किया जाएगा । प्राप्त निविदाओं को **दिनांक-07.07.2026 को अपराह्न 3:00 बजे** विभागीय क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा, जिसमें निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं । निविदा के संबंध में आवश्यक सूचनायें एवं प्रमुख शर्तें वित्त विभाग के बेवसाइट **http://state.bihar.gov.in/finance** पर उपलब्ध है । इस संबंध में संयुक्त आयुक्त (वित्तीय प्रशासन)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वित्त विभाग से किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय अवधि में दूरभाष संख्या-0612-2217101 पर संपर्क कर किसी बिंदु पर मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है ।

06/26

(अरूण कुमार)
संयुक्त आयुक्त-सह-निकासी
एवं व्ययन पदाधिकारी,
वित्त विभाग, बिहार, पटना ।

वित्त विभाग के अन्तर्गत् विभिन्न कार्यालय/परिसर की साफ-सफाई संबंधी आवश्यक सूचना :-

1. वित्त विभाग अन्तर्गत् विभिन्न कार्यालय/परिसर के साफ-सफाई की सूचीः-

तालिका-1

क्रम सं0	भवन का नाम	कार्यालय/आवासीय कार्यालय का नाम	परिसर का प्रकार	अनुमानित सफाई कर्मी की संख्या
(i)	वित्त भवन, गर्दनीबाग, पटना ।	भूतल से चार तल्ला भवन सम्पूर्ण	कार्यालय	10
(ii)	एनेक्सी भवन, पुराना सचिवालय, पटना ।	भूतल पर दावा कोषांग कार्यालय एवं अन्य वित्त विभागीय प्रशाखा/कार्यालय सम्पूर्ण	कार्यालय	10
(iii)	माननीय वित्त मंत्री का आवासीय कार्यालय	माननीय वित्त मंत्री के आवासीय कार्यालय, पटना	आवसीय	10
(iv)	ट्रांजिट हॉस्टल	एसी०/डीसी० कार्यालय, वित्त विभाग	कार्यालय	01
(v)	चालक विश्राम गृह	चालक विश्राम गृह	कार्यालय	01
			कुल	**32**

उपर्युक्त साफ-सफाई कर्मियो की संख्या संभावित है। इसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जायेगा ।

*निविदा जमा करने की अंतिम तिथिः- दिनांक-**06.07.2026** के **05:00** बजे शाम तक ।*

*निविदा खुलने की तिथि :- दिनांक-**07.07.2026** के **03:00** बजे शाम को ।*

2. निविदा की प्रमुख शर्तेः-

(i) निविदादाता को कम से कम तीन वर्षों का केन्द्र/राज्य सरकार, अर्द्धसरकारी संस्थान, निगम आदि का कार्यानुभव होना अनिवार्य होगा ।

(ii) साफ-सफाई एजेंसी/संस्थान को भारतीय श्रम अधिनियम के तहत Bihar Shops and Establishment Act के अंतर्गत निबंधित होना अनिवार्य होगा ।

(iii) साफ-सफाई एजेंसी/संस्थान को वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत निबंधन अनिवार्य होगा ।

(iv) एजेंसी/संस्थान द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 (Assesment Year 2025-26) का आयकर रिटर्न निविदा के साथ संलग्न करना होगा ।

(v) साफ-सफाई का दर प्रति सफाई कर्मी प्रतिमाह (सभी सफाई सामग्री एवं उपकरण सहित) के आधार पर मान्य होगा । (Annexture-Aके Format में) तथा लागू दर पर GST की राशि अलग से विभाग द्वारा एजेंसी को भुगतान की जायेगी ।

(vi) सफाई हेतु सभी आवश्यक सामग्री यथा झाड़ू, खस एवं बाथरूम साफ करने का ब्रश, एसीड, हारपिक, फिनाईल, फिनिट, फिनाईल गोली, ओडोनिल, ब्लीचिंग पाउडर इत्यादि सामग्रियों का आवश्यकतानुसार चयनित एजेंसी को स्वयं व्यवस्था करनी होगी ।

(vii) चयनित एजेंसी को प्रत्येक माह के अंतिम तारीख को संबंधित कार्यालय से साफ-सफाई कार्य से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा इसके उपरांत भुगतान हेतु उनके द्वारा विपत्र समर्पित किया जायेगा ।

(viii) चयनित एजेंसी को सभी सफाई कर्मियों का नाम, पता एवं फोटो पहचान सत्यापित करा कर संयुक्त आयुक्त (वित्तीय प्रशासन)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वित्त विभाग के पास जमा करना होगा ।

(ix) सफाई करने का दर एक वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा । वित्त विभाग चयनित एजेंसी के सफाई कार्य से संतुष्ट रहने की स्थिति में इस निविदा अवधि को आगे बढ़ाने पर विचार कर सकती है । कार्य संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में वित्त विभाग संविदा को समाप्त कर सकती है ।

(x) यदि चयनित एजेंसी के साफ-सफाई कर्मियों द्वारा सरकारी संपत्ति की क्षति की जाती है, तो इसकी पूर्ण भरपाई चयनित एजेंसी को करनी होगी । यदि हजनि की भरपाई चयनित एजेंसी के द्वारा नहीं की जाती है, तो वैसी स्थिति में वित्त विभाग चयनित एजेंसी के विरूद्ध आपराधिक मामला भी दायर कर सकती है तथा हजनि के राशि की वसूली उन्हें भुगतान की जाने वाली राशि से की जायेगी ।

(xi) निविदा अस्वीकृत/रद्द करने का पूर्ण अधिकार वित्त विभाग के पास सुरक्षित रहेगा ।

(xii) निविदा के साथ निम्न कागजात के स्व-हस्ताक्षरित प्रति निम्न क्रमानुसार संलग्न रहना चाहियेः-

क. Earnest Money Deposit के रूप में **रू० 50,000/- (पचास हजार रूपये) मात्र** का बैंक ड्राफ्ट जो "Joint Commissioner (F.A.), Finance Department" के पक्ष में Payable होना चाहिए ।

ख. PAN कार्ड का स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति ।

ग. GST निबंधन का स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति ।

घ. किसी भी राज्य सरकार/केंद्र सरकार/अन्य प्रतिष्ठान द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं होने का Notarised शपथ-पत्र ।

ड़. EPFO में Registration Certificate का स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति ।

च. ESIC में Employer का Registration Certificate (C-11) की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति ।

छ . GST के अंतर्गत मार्च 2025 माह के लिए दाखिल विवरणी की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति ।

(xiii) चयनित निविदादाता को कार्य आवंटन के पश्चात ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम,1970 के अन्तर्गत, यदि लागू हो तो , लाईसेंस प्राप्त कर विभाग में जमा करना होगा ।

(xiv) चयनित निविदादाता द्वारा जिन जिन मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उन मजदूरों को EPFO कार्यालय एवं ESIC कार्यालय में निबंधित करवा कर निबंधन का साक्ष्य वित्त विभाग में जमा करना होगा ।

(xv) चयनित निविदादाता प्रत्येक महीने मजदूरों का EPFO Contribution एवं ESIC Contribution संबंधित कार्यालय में जमा कर चालान की प्रति प्रत्येक महीने विभाग में जमा करेंगे एवं इस संबंध में संवेदक द्वारा मजदूरों के हित के प्रतिकूल कार्य करते हुए पाये जाने पर संवेदक को काली सूची में दर्ज करने एवं भविष्य में कहीं भी निविदा दाखिल करने से वंचित किया जा सकता है ।

(xvi) सभी पृष्ठों पर निविदादाता का हस्ताक्षर होना चाहिये ।

(xvii) तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग लिफाफा में सील करके दोनों लिफाफा के उपर क्रमशः **"तकनीकी निविदाः वित्त विभाग के अधीन विभिन्न कार्यालय/परिसर की साफ-सफाई के कार्य हेतु"** एवं **"वित्तीय निविदाः वित्त विभाग के अधीन विभिन्न कार्यालय/परिसर की साफ-सफाई के कार्य हेतु"** लिखा होना चाहिये एवं इन दो अलग-अलग लिफाफा को एक बड़े लिफाफा के अंदर डालकर उसे सील करके उसके ऊपर **"निविदाः वित्त विभाग के अधीन" की साफ-सफाई के कार्य हेतु"** लिखा होना चाहिये ।

(xviii) निविदा जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक-06.07.2026 के अपराह्न समय-05.00 बजे तक निविदा स्वीकार की जायेगी । निविदा निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से इस तरह भेजा जाना चाहिये कि विभाग में जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक-07.07.2026 के अपराह्न

समय-03.00 बजे तक प्राप्त हो जाय । निविदादाता हाथों हाथ भी निविदा जमा करने की अंतिम तिथि तक वित्त विभाग के डाक प्राप्ति शाखा में निविदा जमा कर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर सकते हैं ।

कार्य का स्वरूप

(1) एजेन्सी द्वारा भवन के भूतल एवं चारों तल के भीतरी एवं बाहरी कैंपस का पूर्ण रूप से Cleaning, Dusting, Mopping इत्यादि का कार्य करना पड़ेगा । इसके अंतर्गत सभी कमरे, बरामदा, सीढ़ी, स्नानघर, शौचालय, छत, पानी का टंकी, गाड़ी पार्किंग स्थल, कैंपस के अंतर्गत नाला, कैंपस स्थित गार्डेन में पानी डालना एवं परिसर के संपूर्ण सफाई सुनिश्चित करना ।

(2) एजेन्सी के सफाई कर्मी द्वारा परिसर स्थित किसी भी तरह के स्थायी Structure, Fittings, Furniture, Apparatus, Tiles, Pipes, Electrical Fittings का नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा । किसी भी तरह का नुकसान प्रतिवेदित किये जाने पर उसके मरम्मति/बदलने का कुल खर्च एजेन्सी से वसूला जायेगा ।

(3) विभिन्न कार्यों का विस्तृत विवरणी निम्नवत है:-

क्रम संख्या	स्थान	परिसर	अंतराल (कितने दिनों पर करना है)
1.	कमरों की सफाई	कार्यालय	दिन में एक बार
2.	बरामदा	कार्यालय	दिन में एक बार
3.	स्नानघर	कार्यालय	दिन में एक बार
4.	सीढ़ी	कार्यालय	दिन में एक बार
5.	शौचालय/यूरीनल	कार्यालय	कार्यालय में प्रत्येक घंटे
6.	कैंपस का एरिया	कार्यालय	दिन में एक बार
7.	ऊपर का खुला छत	कार्यालय	महीने में एक बार
8.	पानी का टंकी	कार्यालय	महीने में एक बार
9.	परिसर स्थित नाला की सफाई	कार्यालय	प्रत्येक दिन
10.	खिड़की का काँच एवं मकड़ी के जाले की सफाई	कार्यालय	प्रत्येक दिन
11.	गाड़ी पार्किंग स्थल	कार्यालय	प्रत्येक दिन
12.	गार्डेन में पानी डालना	कार्यालय	प्रत्येक दिन
13.	बरसात के कारण जलजमाव की स्थिति में	कार्यालय	आवश्यकता पड़ने पर अविलंब पानी निकालना
14.	जानवरों का गोबर अथवा मृत शरीर	कार्यालय	तुरंत फेकना
15.	मरा हुआ चूहा	कार्यालय	तुरंत खोजकर फेकना
16.	कार्यालय में टेबल, टेबल का ग्लास, कुर्सी की सफाई	कार्यालय	प्रत्येक दिन
17.	खिड़की, दरवाजा, फर्श विभिन्न कोनों में जमे धूल, मकरी का जाल, अन्य स्थानों पर जमे गंदगी की सफाई	कार्यालय	प्रत्येक दिन
18.	दीवाल/भवन में अनावश्यक रूप में उगे हुए पौधों को हटाना	कार्यालय	महीने में एक बार

(4) प्रत्येक सफाई कर्मी का कार्य अवधि सुबह 8:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक रहेगा एवं सफाई कर्मी को इस अवधि में कार्य स्थल पर उपस्थित रहना पड़ेगा ।

(5) प्रत्येक सफाई कर्मी स्वच्छ कपड़े में रहेंगे एवं स्वच्छता का हमेशा ख्याल रखेंगे ।

(6) समस्त सफाई सामग्री यथा, झाड़ू, फर्श/दीवार एवं अन्य जगहों को पोछने का कपड़ा, खास फिनाईल/लाइजोल/कॉलिंस इत्यादि एवं बाथरूम साफ करने का ब्रश, एसीड, हारपिक, फिनाईल, फिनिट, फिनाईल गोली, ओडोनिल, ब्लीचिंग पाउडर सफाई एजेंसी द्वारा प्रदान किये जाएंगे एवं इसके लिये अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा ।

(7) समस्त सफाई सामग्री एवं मशीनरी अच्छे गुणवत्ता के होने चाहिये ।

(8) समस्त कचरा को नगर निगम द्वारा विनिर्दिष्ट स्थान पर सफाई कर्मी प्रतिदिन फेकेंगे ।

(9) यूरिनल में नेफ्थालिन बॉल एवं दुर्गंध भगाने वाला ऑडोनिल, यूरिनल एवं शौचालय में हमेशा रहना चाहिए ।

(10) परिसर में लगाये गये मधुमक्खी का छत्ता को हटाने की व्यवस्था करना ।

(11) एजेन्सी द्वारा सिर्फ प्रशिक्षित एवं वयस्क श्रमिक को ही सफाई के कार्य हेतु प्रतिनियुक्त किया जायेगा । बाल श्रमिक को कार्य हेतु प्रतिनियुक्त किये जाने पर एकरारनामा रद्द हो जायेगा ।

(12) एजेन्सी द्वारा किसी तरह के अपराधिक इतिहास वाले व्यक्ति को सफाई कर्मी के रूप में प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा ।

(13) प्रतिदिन किये जाने वाले कार्यों का ब्यौरा एजेन्सी द्वारा रखा जायेगा ।

(14) एजेन्सी द्वारा सभी कर्मियों को ड्रैस एवं पहचान-पत्र दिया जायेगा, जो उपायुक्त(वि०प्र०)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित रहना चाहिए ।

(15) एजेन्सी द्वारा साफ-सफाई के कार्य के निगरानी हेतु एक पर्यवेक्षक भी नियुक्त किया जायेगा ।

(16) आवासीय परिसर की सफाई सप्ताह के सातो दिन की जायेगी, जबकि कार्यालय परिसर की सफाई प्रत्येक कार्य दिवस को किया जायेगा । यदि छुट्टी के दिनों में कार्यालय खुला रहे तो उस दिन भी कार्यालय में सफाई का कार्य करना एजेन्सी सुनिश्चित करेंगे एवं इसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा ।

(17) अपातकालीन स्थिति में किसी भी समय साफ-सफाई हेतु बुलाया जा सकता है ।

(18) तालिका-1 में दर्शाये गये परिसरों एवं सफाई कर्मियों की सूची/संख्या Tentative है । परिसरों की संख्या एवं सफाई कर्मियों की संख्या घट या बढ़ भी सकती है ।

(19) एजेन्सी को वास्तविक रूप में कार्य कर रहे सफाई कर्मी की संख्या के आधार पर भुगतान किया जायेगा ।

(20) एजेन्सी प्रति सफाई कर्मी प्रति महीना (सभी सफाई सामग्री सहित) की दर पर कार्य करेंगे ।

(21) किसी भी दिन सफाई नहीं किये जाने पर उस दिन के लिए अनुपातिक ढ़ंग से एक दिन के लिए दर की गणना कर उसका 1.25 गुना राशि की कटौती पूरे महीने के लिए निर्धारित दर से की जायेगी ।

(22) एजेन्सी द्वारा अपने कर्मियों को बिहार सरकार द्वारा दिनांक-01.04.2026 को जारी प्रेष विज्ञप्ति में उल्लेखित अधिसूचना संख्या-5/एम०डब्ल्यू०-40-16/2021 श्र०सं०-46 दिनांक-01.04.2026 में अकुशल मजदूरों के लिये घोषित न्यूनतम मजदूरी ..... रूपया प्रति दिन का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा । जिसमें समय-समय पर होने वाले परिर्वतन के आलोक में न्यूनतम मजदूरी का भुगतान एजेन्सी द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा ।

(23) सभी निविदादाताओं से अनुरोध है कि महीने के 30 दिन के लिए साफ-सफाई हेतु प्रति मजदूर को दी जाने वाली मजदूरी, साफ-सफाई इत्यादि पर होने वाले खर्च, अन्य आपाती खर्च

एवं अन्य सभी तरह के खर्च, EPFO, ESIC Contribution की राशि की पूर्ण गणना करके पूरे महीने के लिए एक सफाई कर्मी के लिए अपना Monthly Rate वित्तीय निविदा में दर्ज करेंगे, जो **Without GST Rate** होगा । दर्ज Monthly Rate पर लागू दर पर **GST** की राशि का भुगतान विभाग द्वारा अलग से किया जायेगा । सारी गणना सोच-समझकर करने के उपरांत ही निविदा डालेंगे, क्योंकि निविदा डालने के उपरांत न्यूनतम बोली वाले निविदादाता द्वारा कार्य नहीं किये जाने की स्थिति में EMD की राशि जब्त हो जायेगी एवं इन्हें भविष्य के लिए निविदा डालने से वंचित करते हुए काली सूची में दर्ज करने की कार्रवाई की जायेगी ।

उदाहरण स्वरूप आपके द्वारा निम्न तरह से एक कर्मी हेतु Cost की गणना की जा सकती है (निम्न गणना सांकेतिक है) ।

मजदूरी की मासिक दर (26 दिन x 436 रूपया)	= 11,336/- रूपया** *(कृपया नीचे देखें)*
लागू दर पर EPFO की राशि @12%	= 1,360/- रूपया
लागू दर पर ESIC की राशि @3.25%	= 368/- रूपया
साफ-सफाई का अनुमानित मूल्य	= ..... रूपया
एजेन्सी का अपना प्रशासनिक व्यय	= ..... रूपया
एजेन्सी का अपना Profit Margin	= ..... रूपया
.....	
कुल राशि (Without GST)	= ..... रूपया

कृपया उपर्युक्त राशि को ध्यान में रखते हुए वित्तीय निविदा दाखिल करेंगे ।
वित्तीय निविदा में वर्णित राशि का Justification एजेंसी से मांगा जायेगा एवं इस बात की जाँच की जायेगी कि विभाग द्वारा प्रति मजदूर प्रति महीना जितना राशि एजेंसी को भुगतान किया जायेगा, उस राशि में से एजेंसी वास्तव में मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी, EPFO की राशि, ESIC की राशि, उचित मात्रा में साफ-सफाई सामग्री खरीद कर गुण्वत्तापूर्ण साफ-सफाई की सेवा देने में सक्षम हो पायेंगे या नहीं और बिना सोचे समझे साफ-सफाई का कार्य प्राप्त करने हेतु अनाप-शनाप या बहुत कम दर वित्तीय निविदा में Quote करने पर भविष्य में निविदा डालने से वंचित किया जा सकता है । इस संबंध में अव्यवहारिक रूप से साफ-सफाई सामग्री का मूल्य 1.00 रूपया या एजेंसी अपना प्रशासनिक व्यय/लाभ 1.00 रूपया बताना स्वीकार योग्य नहीं होगा । कृपया एजेंसी अपना प्रशासनिक व्यय, Profit Margin, साफ-सफाई सामग्री का Cost सही-सही गणना करने के उपरांत ही निविदा करेंगे । यदि निविदादाता किसी विन्दू पर मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो निविदा दाखिल करने के पूर्व किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय अवधि में संपर्क कर सकते हैं ।

(1. समय-समय पर न्यूनतम मजदूरी का Revision होता है, उसी के अनुसार एजेन्सी मजदूरों को मजदूरी का भुगतान करेंगे ।
2. EPFO/ESIC/अन्य अनिवार्य राशि संबंधित विभाग में जमा करने का पूर्ण दायित्व साफ-सफाई एजेन्सी का रहेगा ।)

****

Annexure-A

(वित्तीय निविदा का प्रारूप)

सेवा प्रदाता एजेंसी का नाम.....

पूर्ण पता-.....

दूरभाष संख्या-.....

PAN संख्या-..... GST संख्या-.....

सफाई का दर

प्रति सफाई कर्मी प्रति महीना
(सभी सफाई सामग्री ESIC, ESIC
कंपनी का प्रशासनिक व्यय,
कंपनी का Profit Margin सहित)
एवं (Without GST) = अंक में .....
शब्द में .....

निविदादाता का हस्ताक्षर

.....

बिहार सरकार
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक–

एस0 ओ0– दिनांक–

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा–5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा–3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची–1(ब) उल्लेखित अनुसूचित 89 नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं। अनुसूची –1(ब) में उल्लेखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परिवर्तित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची–1(अ) के स्तंभ–01 के प्रदर्शित महीनों के लिए उक्त अधिनियम की धारा–2(क) के प्रयोजन के निमित अनुसूची 1(अ) के स्तम्भ–04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची–1 (अ)
(परिवर्तित मूल्य सूचकांक)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष–2016–100)	आधार वर्ष परिवर्त्तन हेतु लिंक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष–1960–100)
1	2	3	4
जुलाई–2025	146.5	4.63 X4.93 X2.88	9630.70
अगस्त–2025	147.1	4.63 X4.93 X2.88	9670.14
सितम्बर–2025	147.3	4.63 X4.93 X2.88	9683.29
अक्टूबर–2025	147.7	4.63 X4.93 X2.88	9709.59
नवम्बर–2025	148.2	4.63 X4.93 X2.88	9742.45
दिसम्बर–2025	148.2	4.63 X4.93 X2.88	9742.45
			योग :–58178.62
वर्ष 2025 के द्वितीय अर्धांश जुलाई, से दिसम्बर, 2025 का औसत–58178.62÷6=9696.			

नोटः– दिनांक–01.10.2025 से लागू दरों से संबंधित अधिसूचना एवं गजट संख्या का संदर्भ –अधिसूचना संख्या–(58,59) दिनांक–23.09.2025; गजट सं०–1560, दिनांक–24.09.2025।

अनुसूची –II

(01.04.2026 से लागू न्यूनतम मजदूरी की दरें)

क्र0 सं0	कामागारों की कोटि	दिनांक–01.09.2022+01.10.2022+01.04.2023+01.10.2023+01.04.2024+01.10.2024+01.04.2025+01.10.2025 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्त्तनशील महँगाई भत्ता की राशि (दिनांक–01.04.2026 से प्रभावी)	01.04.2026 से लागू न्यूनतम मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1	अकुशल	366.00+7.00+15.00+7.00+15.00+2.00+12.00+4.00 =428.00	8.00	436.00 प्रतिदिन
2	अर्द्धकुशल	380.00+8.00+15.00+8.00 15.00+2.00+12.00+4.00 =444.00	8.00	452.00 प्रतिदिन
3	कुशल	463.00+9.00+19.00+9.00+19.00+2.00+15.00+5.00 =541.00	10.00	551.00 प्रतिदिन
4	अतिकुशल	566.00+11.00+23.00+11.00+23.00+2.00+18.00+6.00=660.00	12.00	672.00 प्रतिदिन

नोटः–घरेलु नियोजनों में एक घंटा कार्य करने के लिए न्यूनतम मजदूरी की दर प्रतिदिन की अधिसूचित दर में आठ (8) से भाग देकर प्राप्त किया जायेगा। इसी प्रकार मासिक दर की गणना दैनिक दर में 26 से गुणा कर प्राप्त किया जायेगा।

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है।

उपर्युक्त सूचकांक में यथास्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ–4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हो तो निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्त्तन नहीं होगा।

उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भुगतान उपर्युक्त दर से **जुलाई से दिसम्बर, 2025** के औसत के आधार पर **01 अप्रैल, 2026** से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाहीं के तीन महीने बाद से लागू होगा।

III	ग्रेड में छॉटना और बन्डल बनाना प्रतिबिन्डा (5 किलो का)–	41.00+0.82+1.64+ 0.82+1.64+0.17+1.00 +0.41=47.05	1.00	48.05

टिप्पणीः– (क) न्यूनतम मजदूरी की मासिक दरों का दैनिक मजदूरी की दरों मे परिवर्तन 26 से भाग देकर तथा दैनिक मजदूरी की दरों का मासिक मजदूरी की दरों में परिवर्तन 26 से गुणा करके प्राप्त किया जायेगा।

(ख) न्यूनतम मजदूरी की उपर्युक्त प्रस्तावित दरों में सात दिनों की अवधि में विश्राम के दिन के लिए कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक शामिल है।

(ग) साप्ताहिक विश्राम के दिन अथवा अन्य किसी दिन समयोपरि (Overtime) कार्य के लिए कामगार बिहार न्यूनतम मजदूरी नियमावली, 1951 के नियम–25 में विहित दर से समयोपरि काम का दो गुणा मजदूरी भुगतान पाने का हकदार होगा।

(घ) पुरूष तथा स्त्री कामगार एक ही काम या उसी प्रकार के काम के लिए समान दर पर मजदूरी पायेंगे।

(संख्या–5 / एम0डब्लू0–40–16 / 2021 श्र0सं0–46)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

1.4.26

(राजीव रंजन)

संयुक्त सचिव।

अधिसूचना

पटना, दिनांक– 01.04.26

एस0ओ0 दिनांक– का अँग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अँग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(संख्या–5 / एम0डब्लू0–40–16 / 2021 श्र0सं0–47)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

1.4.26

(राजीव रंजन)

संयुक्त सचिव।

NOTIFICATION

Patna, dated-

S.O. Date In exercise of the powers conferred by section -3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act, the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-1 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.

Schedule-1

Month & Year	Index No Base Year (2016-100)	Link Factor Change for base year	Changed Index No. for base year (1960-100)
1	2	3	4
July-2025	146.5	4.63 X4.93 X2.88	9630.70
August-2025	147.1	4.63 X4.93 X2.88	9670.14
September-2025	147.3	4.63 X4.93 X2.88	9683.29
October-2025	147.7	4.63 X4.93 X2.88	9709.59
Novemberer-2025	148.2	4.63 X4.93 X2.88	9742.45
December-2025	148.2	4.63 X4.93 X2.88	9742.45
			Total:-58178.62
First Half Yearly Average of the year July- to December ,2025 58178.62÷6=9696.43			

***Note- Reference of Notification and Gazette for the rates effective from 01.04.2026-Notification No- (58,59) Dated- 23.09.2025; Gazette No.- 1560 Dated- 24.09.2025**

6

SCHEDULE -II

Total rates of wages effective from the date 01.10.2025

Sl. No	Categories of Worker	From Dated-01.09.2022 + 01.10.2022+01.04.2023+ 01.10.2023+01.04.2024+ 01.10.2024+01.04.2025+ 01.10.2025 Minimum Wages Fixed (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date- 01.04.2026 (In Rs.)	Total rates of wages effective from the date 01.04.2026 Column (3+4)
1	2	3	4	5
1.	Unskilled	366.00+7.00+15.00+7.00+ 15.00+2.00+12.00+4.00 =428.00	8.00	436.00 Perday
2.	Semi skilled	380.00+8.00+15.00+8.00 15.00+2.00+12.00+4.00 =444.00	8.00	452.00 Perday
3.	Skilled	463.00+9.00+19.00+ 9.00+19.00+2.00+15.00+ 5.00=541.00	10.00	551.00 Perday
4.	Highly Skilled	566.00+11.00+23.00+ 11.00+23.00+2.00+18.00+ 6.00 =660.00	12.00	672.00 Perday

Note: For domestic employments, the minimum wage rate for one hour of work shall be calculated by dividing the notified daily rate by eight (8). Similarly, the monthly rate shall be computed by multiplying the daily rate by twenty-six (26).

The rates of Variable Dearness Allowance (VDA) shall be based on the average point of the All India Consumer Price Index (AICPI) on which the VDA rates for the aforementioned scheduled employments have been determined/revised.

In accordance with any increase or decrease in the said index, the minimum wage rates shall be correspondingly increased or decreased from the rate specified in Column-4 of the above schedule, and such adjustment shall be deemed to constitute the component of Variable Dearness Allowance. However, if the index falls below the point at which the minimum wage rates were determined/revised, no change shall be made to the determined/revised minimum wage.

The payment of the said Variable Dearness Allowance at the above rate shall be payable with effect from 01 April 2026, based on the average of the AICPI for the period July–December 2025. Thereafter, any increase or decrease in the amount of Variable Dearness Allowance shall be implemented three months after

12. Plucking and Processing-Kendu leaves.				
I	Plucking of leaves per 50,000 leaves or 1.00 Rs 55 paise per 50 leaves-	1344.00+27.00+54.00+27.00 +54.00+6.00+43.00+13.00 =1568.00	29.00	1597.00
II	**Filling bags**			
	Packing of Bags Per small bags-	21.00+0.42+0.84+0.42+0.84 +0.09+0.7+0.21= 24.52	0.45	24.97
	Per big bags-	41.00+0.82+1.64+0.82+1.64 +0.17+1.00+0.41=47.50	1.00	48.50
III	Grading and bundling per bind of 5 Kg-	41.00+0.82+1.64+0.82+1.64 +0.17+1.00+0.41=47.50	1.00	48.50

Note:- (a) The conversion of monthly minimum wages into daily rates shall be obtained by dividing it by 26 and the conversion of daily wage rates into monthly wage rates shall be obtained by multiplying it by 26.

(b) The above proposed rates of minimum wages include remuneration to workers for the day of rest in a period of seven days.

(c) For overtime work on the weekly rest day or on any other day, a worker shall be entitled to be paid twice the wages for overtime work at the rate prescribed in rule 25 of the Bihar Minimum wages Rules, 1951.

(d) Male and female workers shall be receiving the same rate of wages for the same work or similar type of work.

(No-5/ M.W.- 40-16/2021 L&R- 46)

By the order of the Governor of Bihar,

1.4.26

(Rajeev Ranjan)
Joint Secretary.

ज्ञापांक–5/एम०डब्लू–40–16/2021 श्र०सं०– 47 पटना, दिनांक– 01/4/26

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की दो प्रतियाँ एवं सी०डी० के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अधिसूचना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने की कृपा की जाय एवं उक्त राजपत्र की 100 (सौ) प्रतियाँ श्रमायुक्त, बिहार का कार्यालय श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–5/एम०डब्लू–40–16/2021 श्र०सं०– 47 पटना, दिनांक– 01/4/26

प्रतिलिपि– निदेशक, श्रम मंत्रालय(वेज सेल) भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/निदेशक, श्रम ब्यूरो, शिमला एवं चंडीगढ़/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/मुख्य मंत्री सचिवालय, पटना/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/बिहार सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/महानिदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप श्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त, शोध शाखा/सभी सहायक श्रमायुक्त/सभी श्रम अधीक्षक/निदेशक, कृषि श्रमिक, बिहार, पटना/मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, बिहार, पटना/मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक/सभी कारखाना निरीक्षक/मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक बिहार, पटना एवं सभी वाष्पित्र निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह0/–
(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–5/एम०डब्लू–40–16/2021 श्र०सं०– 47 पटना, दिनांक– 01/4/26

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग सह–अध्यक्ष, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद/सभी सदस्य, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद/सचिव, बिहार चेम्बर ऑफ कामर्स, खेमचन्द चौधरी मार्ग, पटना–01/सचिव, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, सिन्हा लाईब्रेरी रोड, पटना/प्राचार्य, बिहार पशु चिकित्सा महाविधालय, पटना/उप कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविधालय, पटना/उप कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/मुख्य अभियंता (ग्रामीण अभियंत्रण संगठन), ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/मनरेगा आयुक्त, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग तकनीकी कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. संबंधित पदाधिकारियो से अनुरोध है कि अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले सभी कर्मी एवं कार्यालय को अपने–अपने स्तर से अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

ह0/–
(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–5/एम०डब्लू–40–16/2021 श्र०सं०– 47 पटना, दिनांक– 01/4/26

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

01/4/26
(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव।